

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 29 / 2022

1. कुलदीप पुत्र बिरी
2. चन्दरा पत्नि बिरी
3. जगराम पुत्र शिवराम
4. पूनम पुत्री शिवराम
5. भीम सिंह पुत्र शिवराम
6. नैमन पुत्री शिवराम
7. राजू पुत्र बिरी

8. रामा पत्नि शिवराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम छपरा तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी


दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एकट

उपस्थित :- श्री प्रहलाद सिंह वकील वादीगण

दिनांक :- 07 / 03 / 2022

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एकट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 140/0.19, 141/0.16, 1074/0.29, 1405/0.29 हाल खसरा नम्बर 172/0.19, 173/0.16, 1263/0.29, 1656/0.29 बांके ग्राम छपरा तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी राजस्थान टीनेन्सी एकट के लागू होने के पूर्व से ही वादीगण के बुर्जगान की कब्जे काशत की आराजी थी जिस पर सम्पूर्ण जीवन काल तक बुजुर्गान ने काशत की ओर अब वादीगण काबिज काशत है। मौके पर वादीगण की बोर्ड हुई गेहूँ व सरसों की फसल खडी हुई है इस प्रकार आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। जो कि धारा 16 के तहत नहीं आती है। आराजी राजस्थान टीनेन्सी एकट के लागू होने से पूर्व से ही वादीगण के बुजुर्गान की पट्टेदार/गैरखातेदार का रकबा था जिसे कानूनन रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज कर देना चाहिए था लेकिन आज भी वादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन करा पाने के अधिकारी है। वादीगण को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरुद्ध दावा पेश


उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

करने की अनुमति ले ली है। वादीगण विवाहित आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 11/02/22 को वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये। जबाब पेश किया कि आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादीगण बुजुर्गान बिरी पुत्र मंगल के रूप में काबिज काश्त थे। अब वादीगण का मुताबिक हिस्सा आराजी पर कब्जा काश्त है। आराजी पर वादीगण की फसल खड़ी हुई है इस प्रकार आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। मुताबिक कानून वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमज्ज कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहत नहीं आती है। जिस पर वादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।
तनकी संख्या 1 :- आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

.....वादीगण
तनकी संख्या 2 :- आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

.....वादीगण

3 :- दादरसी।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 कुलदीप, पी0डब्लू0 2 भीम सिंह, के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2012-15, 2016-19, 2020-23, 2024-27, 2028-31, 2032-35, 2041-44, 2045-48, 2049-52, 2053-53, 2057-60, 2061-64, 2075-78 एवं नकल खसरा गिरावरी सम्वत 2014-17, 2037-40, 2042-44, 2045-48, 2049-52, 2053-57, 2057-60, 2061-64 व मिलान क्षेत्रफल पेश किये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या :- 1 आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार के मुताबिक आराजी वादीगण के पिता/दादा की आराजी है। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2041-44 में आराजी वादीगण के पिता

५
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

बिर्ही पुत्र मंगल की आराजी थी। वादीगण के बुजुर्ग बुर्ही पुत्र मंगल के गुजरने के बाद वादीगण ने वारिसान के रूप में काश्त की अब वादीगण का मुताबिक हिस्सा आराजी पर कब्जा काश्त है। वर्तमान में वादीगण का मुताबिक हिस्सा कब्जा काश्त है। आराजी पर वादीगण के पिता/दादा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पूर्व से ही गैर मौरोसी राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज है। आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :- 2 आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।


उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादीगण का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

3. दादरसी :- तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :-

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर साविक 140/0.19, 141/0.16, 1074/0.29, 1405/0.29 हाल खसरा नम्बर 172/0.19, 173/0.16, 1263/0.29, 1656/0.29 बांके ग्राम छपरा तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/03/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).